नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 028
दि. 31.10.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

मुंबई में सनसनी: बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्या मुठभेड़ में ढेर, पुलिस ने सभी 19 लोगों को सुरक्षित छुड़ाया

(जीएनएस)। मुंबई। मायानगरी गुरुवार की दोपहर उस वक्त दहशत के साये में आ गई जब पवई के महावीर क्लासिक बिल्डिंग में स्थित आर.ए. एक्टिंग स्टूडियो से पुलिस को एक भयावह सूचना मिली कि वहां एक व्यक्ति ने 17 बच्चों समेत कुल 19 लोगों को बंधक बना लिया है। आरोपी ने खुद को निर्देशक बताकर बच्चों को एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन के नाम पर बुलाया था। लेकिन ऑडिशन के नाम पर वह जो खेल खेल रहा था, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया।

करीब एक घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे में आरोपी ने न सिर्फ बच्चों को बंदी बनाकर रखा, बल्कि सोशल मीडिया पर लाइव जाकर धमकी भी दी कि अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो वह स्टूडियो में आग लगा देगा। इस दौरान वह बार-बार कहता रहा कि उसे किसी से पैसे नहीं चाहिए, वह बस "न्याय" चाहता है। पुलिस ने बड़ी सावधानी से पूरे इलाके को घेर लिया, आसपास की इमारतें खाली करवाई गईं और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने पहले आरोपी से बातचीत कर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बच्चों पर रसायन छिड़कने की कोशिश की, तो हालात नियंत्रण से बाहर हो गए।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण के अनुसार, पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार करते हुए धमकी दी कि यदि कोई अंदर आया तो वह बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। इसके बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई टीम (क्यूआरटी) और बम निरोधक दस्ते ने एक गुप्त रास्ते से स्टूडियो में प्रवेश किया। आरोपी के पास एक एयर गन और कुछ रासायनिक पदार्थ थे। स्थिति बिगड़ने पर जब पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया, तभी आरोपी ने एक रासायनिक पदार्थ हवा में फेंकने की कोशिश की। उसी क्षण पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे आरोपी को गोली लगी। उसे तुरंत जोगेश्वरी ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

यह मुठभेड़ मुंबई पुलिस की सूझबूझ और तत्परता का उदाहरण बन गई। पुलिस ने सभी 19 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनमें 17 बच्चे, एक वरिष्ठ नागरिक और एक महिला शामिल थीं। घटनास्थल से बरामद एक वीडियो में आरोपी लगातार सरकार और कुछ अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करता दिखा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रोहित आर्या पुणे का निवासी था और कभी सरकारी शिक्षा परियोजना से जुड़ा ठेकेदार रहा था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उसे महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के तहत "माय स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल" योजना का एक टेंडर मिला था। वह दावा कर रहा था कि उसे इस प्रोजेक्ट के बदले दो करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया, जिससे वह आर्थिक संकट में फंस गया और मानसिक तनाव झेल रहा था। यही तनाव धीरे-धीरे उसकी अस्थिर मानसिकता में बदल गया और उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया। शिवसेना नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि जब वह मंत्री थे, तब उन्होंने खुद रोहित आर्या को चेक से भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रियाओं में समय लगता है, और सभी भुगतानों के लिए प्रमाण और दस्तावेज जरूरी होते हैं। उनका कहना था कि रोहित का यह आरोप गलत है कि उसे पैसे नहीं मिले।

इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि "पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, बच्चों की जान बचाई गई। सरकार पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जल्द ही सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाएंगे।" वहीं कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने घटना को राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि "ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति बिना किसी निगरानी के इस तरह की खतरनाक हरकत कर सकता है।"

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि "अपने बकाया भुगतान के लिए बच्चों को बंधक बनाना बेहद शर्मनाक और आपराधिक कृत्य है। पुलिस ने उचित कदम उठाया और यदि ऐसा न किया जाता तो बड़ी त्रासदी हो सकती थी।"

पुलिस ने घटना के बाद स्टूडियो को सील कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से आरोपी का मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे और कुछ रासायनिक पदार्थ जब्त किए गए हैं। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई लाइव स्ट्रीमिंग और फोन कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिला है कि आरोपी पिछले कुछ महीनों से कई लोगों से सरकारी भुगतान को लेकर संपर्क में था और कई दफ्तरों में शिकायतें भी दी थीं।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह ठीक था या नहीं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ समय से वह अपने आसपास के लोगों से कहता था कि "उसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी है" और "वह खुद को साबित करेगा।"

मुंबई पुलिस इस घटना को 'संकट प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया' के उदाहरण के रूप में देख रही है। पुलिस की कार्रवाई ने न सिर्फ 17 मासूम बच्चों की जान बचाई, बल्कि एक बड़े विस्फोट या आगजनी जैसी संभावित त्रासदी को भी टाल दिया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कोई व्यक्ति इतनी आसानी से एक्टिंग ऑडिशन के नाम पर बच्चों को बुलाकर उन्हें बंधक कैसे बना सकता है। इस पूरी घटना ने मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था, मनोरंजन उद्योग के खुले ऑडिशन सिस्टम, और मानसिक स्वास्थ्य निगरानी पर गहरी बहस छेड़ दी है।

देश को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक मर्यादा और संवैधानिक संतुलन के प्रतीक हैं जस्टिस सूर्यकांत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत के न्यायिक इतिहास में एक और अहम अध्याय जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) नियुक्त किया गया है। वे 24 नवंबर को पद की शपथ लेंगे और मौजूदा सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी संभालेंगे। कानून मंत्रालय ने गुरुवार को इस नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का रहेगा और वे 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।

सीजेआई गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का नाम केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंजूरी दे दी। न्यायपालिका और संवैधानिक मूल्यों के गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध जस्टिस सूर्यकांत ने अपने करियर में कई ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रगतिशील दृष्टिकोण की नई परिभाषा दी है। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा

के हिसार जिले में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली और 1984 में वकालत शुरू की। 2001 में उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अपनी साफगोई, संवैधानिक समझ और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के कारण वे न्यायपालिका में विशिष्ट स्थान रखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने दो दशक से अधिक लंबे न्यायिक करियर में कई ऐसे फैसले दिए, जिन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था की दिशा बदल दी। वे उस ऐतिहासिक बेंच का हिस्सा थे, जिसने पेगासस स्पाइवेयर मामले में केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि "राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर नागरिकों की निजता का हनन स्वीकार्य नहीं है", और इस प्रकरण की जांच के लिए स्वतंत्र साइबर विशेषज्ञ समिति गठित की थी। उन्होंने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर रोक लगाने वाले फैसले में भी अहम भूमिका निभाई। कोर्ट ने उनके नेतृत्व वाली बेंच में कहा था कि सरकार की समीक्षा पूरी होने तक इस कानून के तहत किसी नई एफआईआर या गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जाएगी — यह फैसला स्वतंत्र अभिव्यक्ति की दिशा में मील का पत्थर माना गया। वे 2023 में अनुच्छेद 370 को बरकरार रखने वाले संवैधानिक बेंच का भी हिस्सा रहे। इसके अलावा, महिला वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य बार संगठनों में एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश का श्रेय भी उन्हें जाता है। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका तभी सशक्त होगी जब उसमें लैंगिक संतुलन होगा।

2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सजा के बाद हरियाणा और पंजाब में भड़की हिंसा पर उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच से कहा था कि "राज्य कानून-व्यवस्था कायम रखने में असफल रहा है", और डेरा परिसरों की पूरी सफाई के आदेश दिए थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े विवाद में भी निर्णायक भूमिका निभाई। सात सदस्यीय बेंच में शामिल होकर उन्होंने 1967 के उस पुराने निर्णय पर पुनर्विचार की राह खोली, जिसने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत अपने फैसलों में हमेशा "संविधान के जीवंत दस्तावेज" होने की बात दोहराते रहे हैं। वे मानते हैं कि संविधान एक स्थिर ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा है जो समय के साथ विकसित होती है।

कर्नाटक में सरकार को दोहरा झटका, आरएसएस ड्रेस पहनने वाले कर्मचारी के निलंबन पर ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक में आरएसएस गतिविधियों पर राज्य सरकार के आदेशों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी जटिलता में उलझ गया है। लिंगासुगुर के पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार केपी, जिन्हें आरएसएस की वर्दी पहनकर संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण निलंबित किया गया था, उन्हें अब राहत मिल गई है। कर्नाटक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (KAT) ने उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

प्रवीण कुमार बीजेपी विधायक मनप्पा डी. वज्जल के निजी सहायक भी हैं। 12 अक्टूबर को उन्होंने लिंगासुगुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में परंपरागत खाकी वर्दी पहनकर भाग लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सेवा नियमों का उल्लंघन बताते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल मच गई थी, क्योंकि विपक्ष ने इसे "विचारधारा आधारित प्रतिशोध" करार दिया था।

ट्रिब्यूनल ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक मामले की पूर्ण सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारी के सस्पेंशन को लागू नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। यह आदेश सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह हाल ही में अदालतों द्वारा दिए गए दूसरे ऐसे निर्णयों की कड़ी में जुड़ गया है, जिनमें सरकार के आदेशों पर रोक लगाई गई है।

दरअसल, कुछ ही दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने भी राज्य सरकार द्वारा जारी उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सरकारी स्थानों पर आरएसएस शाखा लगाने या 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई थी। सरकार का तर्क था कि सरकारी भवनों या परिसरों का उपयोग किसी धार्मिक या वैचारिक संगठन के लिए नहीं होना चाहिए। मगर अदालत ने इसे मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

इससे पहले भी राज्य के कई जिलों में आरएसएस की शाखाओं को स्थानीय प्रशासन द्वारा रोका गया था, जिससे संघ समर्थकों और भाजपा नेताओं में नाराजगी थी। अब ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के दोनों आदेशों ने राज्य सरकार के प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि "यह न्याय की जीत है और यह साबित करता है कि किसी कर्मचारी को उसकी वैचारिक स्वतंत्रता के कारण दंडित नहीं किया जा सकता।" वहीं कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि "सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक या वैचारिक संगठनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वे सार्वजनिक सेवा में हैं। ट्रिब्यूनल का आदेश अंतरिम है, अंतिम सुनवाई के बाद सरकार अपना पक्ष मजबूत करेगी।"

कानूनी जानकारों का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति के सस्पेंशन का नहीं, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता और वैचारिक स्वतंत्रता की सीमा तय करने का प्रश्न बन चुका है। कर्नाटक में पहले भी शिक्षा, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ संघ की शाखाओं में भाग लेने के आरोप लगे थे, जिन पर विभागीय जांच चली थी।

अब अदालतों के इन आदेशों ने राज्य में सरकार और संघ के बीच बढ़ते टकराव को और स्पष्ट कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आगामी निकाय चुनावों से पहले यह विवाद भाजपा को वैचारिक तौर पर मजबूत करने का मुद्दा भी दे सकता है। वहीं कांग्रेस सरकार के लिए यह कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन के बीच संतुलन साधने की बड़ी परीक्षा बन गया है।

चक्रवात 'मोंथा' से आंध्र प्रदेश को तगड़ा झटका, 5,265 करोड़ का नुकसान; सतर्कता से बचीं हजारों जानें

(जीएनएस)। अमरावती। आंध्र प्रदेश इस समय चक्रवात 'मोंथा' की मार से उबरने की कोशिश कर रहा है। राज्य में तबाही का मंजर भले ही भयावह था, लेकिन समय रहते उठाए गए कदमों ने हजारों लोगों की जान बचा ली। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को बताया कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार चक्रवात से राज्य को 5,265 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सतर्कता और बेहतर प्रबंधन की बदौलत किसी की जान नहीं गई, जो राहत की सबसे बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने राजधानी अमरावती में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागवार नुकसान का ब्योरा पेश किया। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र को 829 करोड़ रुपये, सड़क और भवन विभाग (R&B) को 2,079 करोड़ रुपये, तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आवास विभागों को भी भारी क्षति हुई है। नायडू ने कहा कि इस बार प्रशासन पूरी तरह "अलर्ट मोड" में था, और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि टल गई।

उन्होंने बताया कि अब राज्य में आपदा प्रबंधन प्रणाली तकनीक आधारित और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से लैस है। "पहले जहां बिजली जाने के बाद उसे बहाल होने में 8-10 घंटे लगते थे, अब टीमें सिर्फ तीन घंटे में सप्लाई शुरू कर देती हैं," नायडू ने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गिर चुके पेड़ों और बंद रास्तों को साफ करने के लिए टीमें पहले से तैयार थीं और संकट के समय तुरंत सक्रिय हो गईं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार सिंचाई विभाग को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है, जिससे जलाशयों की स्थिति नियंत्रण में बनी रही। उन्होंने कहा कि "प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही समय पर उठाए गए कदम उससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं।" प्रभावित इलाकों में फ्री राशन, राहत केंद्रों में भोजन व दवा और घर लौटने वाले हर परिवार को 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कृष्णा जिले के अवनीगड्डा निर्वाचन क्षेत्र के कोडुर मंडल में दौरा कर क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और फसल क्षति की फोटो प्रदर्शनी भी देखी। पवन कल्याण ने कहा कि "मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और प्रशासनिक तत्परता के कारण नुकसान सीमित रहा। समय पर चेतावनी संदेशों ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को सतर्क कर दिया, यही वजह रही कि बड़े हादसे नहीं हुए।" सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, चक्रवात 'मोंथा' से अब तक 60,000 हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान हुआ है। इनमें करीब 46,000 हेक्टेयर धान की फसल और 14,000 हेक्टेयर बागवानी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पंचायत राज विभाग को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है, और कई गांवों में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत राज विभाग की टीमें अब युद्धस्तर पर सड़कों और पुलों की मरम्मत में जुटी हैं। वहीं, सरकार ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि किसानों की वास्तविक हानि का आकलन कर उन्हें सीधी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। चक्रवात 'मोंथा' ने जहां राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दी है, वहीं इस संकट ने यह भी साबित किया है कि समय रहते तैयारियां और समन्वयित प्रशासनिक प्रतिक्रिया किसी भी प्राकृतिक आपदा के सामने ढाल का काम कर सकती है।

छत्तीसगढ़ में दवा सुरक्षा पर सख्ती, कवर्धा के मेडिकल स्टॉक से संदिग्ध टैबलेट की सप्लाई रोकी गई

(जीएनएस)। रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों को दवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्था छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने एक बार फिर दवा गुणवत्ता को लेकर सतर्कता का परिचय दिया है। कवर्धा जिले के राज्य औषधि भंडार में नियमित निरीक्षण के दौरान ओफ्लॉक्सासिन + ऑर्निडाजोल टैबलेट (ड्रग कोड SP1978) के एक बैच में गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएं पाई गईं। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, कॉरपोरेशन ने तुरंत उस बैच की सप्लाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और राज्यभर में इसकी जांच शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार, औषधि भंडार में यह दवा कुछ समय पहले आपूर्ति की गई थी। नियमित गुणवत्ता निरीक्षण के दौरान इसकी फिजिकल जांच और नमूना परीक्षण में कुछ संदिग्ध तत्व पाए गए, जिसके बाद इसे तुरंत क्वारंटाइन में रख दिया गया। अब इस दवा का री-टेस्टिंग (पुनः परीक्षण) प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट आने तक इसकी किसी भी सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य केंद्र में आपूर्ति पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

सीजीएमएससी ने सभी जिला औषधि भंडारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने स्टॉक की तुरंत समीक्षा करें और यदि यह बैच उनके पास उपलब्ध है, तो उसे अलग कर सुरक्षित रूप से संग्रहित रखें। संगठन ने यह भी कहा है कि गुणवत्ता परीक्षण में किसी भी स्तर पर खामी पाए जाने पर आपूर्तिकर्ता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को केवल सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाली दवाएं ही उपलब्ध हों। इसके लिए राज्यभर में सैंपलिंग, लैब टेस्टिंग और ऑडिट की प्रक्रिया निरंतर चल रही है।"

पिछले कुछ महीनों में सीजीएमएससी ने कई दवाओं की आपूर्ति पर इसी तरह रोक लगाई है और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर अपनी सख्त नीति बनाए रखी है। यह कदम राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत फार्मास्युटिकल कंपनियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है।

कवर्धा में दवा सप्लाई पर रोक का यह मामला सरकार की त्वरित कार्रवाई और स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का उदाहरण है। अब राज्य की प्रयोगशालाओं से इस टैबलेट के री-टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही अगला कदम तय किया जाएगा। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पूरे प्रदेश में इस दवा का वितरण पूर्णतः निलंबित रहेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल के वर्षों में दवा गुणवत्ता की निगरानी को लेकर कई कदम उठाए हैं, जिनमें डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, बैच-वाइज रिपोर्टिंग और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता वृद्धि प्रमुख हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मरीज तक घटिया या संदिग्ध दवा न पहुंचे — क्योंकि जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

तार्किक नहीं महंगी कृत्रिम बारिश का विकल्प

आखिरकार, लंबे समय से दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए विकल्प के बड़े दावे के रूप में प्रचारित कृत्रिम बारिश का प्रयोग सिरे नहीं चढ़ सका है। अन्ततः दिल्ली में यह बहु-प्रचारित प्रयोग स्थगित करना पड़ा। बल्कि बारिश की फुहारों के बजाय राजनीतिक घमासान और सवालों की बारिश के रूप में इसकी परिणति हुई। राष्ट्रीय राजधानी के आकाश में छाये जहरीले धुएं को धोने के लिए जो करीब सवा तीन करोड़ रुपये खर्च किए गए, वे बूंदाबांदी भी नहीं नहीं ला सके। इसके बाद न केवल आसमान सूखा रहा बल्कि दिल्ली की उम्मीदें भी सूखी रहीं। इसके इतर प्रदूषण के समाधान के लिए बहुप्रचारित इस प्रयोग के असफल होने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। इसमें दो राय नहीं कि वैज्ञानिक परीक्षण तार्किकता और अनुकूल परिवेश में ही सिरे चढ़ता है। इसी तरह क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी अनुकूल परिस्थितियों के न होने के तथ्य को गंभीरता से नहीं लिया गया। दरअसल, कृत्रिम बारिश केवल उन्ही परिस्थितियों में फलीभूत होती है जब वातावरण में पर्याप्त नमी हो, आसमान में घने बादल छाए हों तथा हवा का रुख स्थिर बना रहे। दुनिया के कई देशों, मसलन चीन, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में कृत्रिम बारिश के प्रयोग इसलिए सफल हो सके क्योंकि उन्होंने इस प्रयोग को सिरे चढ़ाने के लिये सही समय को चुना था। दिल्ली के शासन-प्रशासन ने इस प्रयोग को अमली जामा पहनाने से पहले इस बात को नजरअंदाज किया कि दिल्ली का आसमान शुष्क है और वातावरण में नमी की कमी है। ऐसे में पर्याप्त आर्द्रता यानी बादलों के पर्याप्त घनत्व के बिना सिल्वर आयोडाइड की लपटें बारिश पैदा नहीं कर सकतीं। ऐसा नहीं हो सकता कि इस विकल्प को सिरे चढ़ाने वाले योजनाकारों को विज्ञान की यह सीमा ज्ञात नहीं थी। फिर भी यदि सरकार आगे बढ़ी तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकता परिणामों के बजाय इससे मिलने वाले प्रचार को लेकर ज्यादा रही।

ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या दिल्ली सरकार समस्या के वास्तविक समाधानों की अनदेखी करते हुए कृत्रिम बारिश को सिरे चढ़ाने वाले महंगे विकल्पों पर दांव लगा सकती है? वास्तव में हमें प्रदूषण की जड़ों पर प्रहार करने की जरूरत है। कृत्रिम बारिश एक फौरी विकल्प तो हो सकता है,लेकिन समस्या का अंतिम समाधान नहीं हो सकता। वास्तव में आज जरूरत प्रदूषण उत्सर्जन के स्रोतों को बंद करने की है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम करें। सरकार की प्राथमिकता वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने, साल भर चलने वाले निर्माण कार्य से उत्पन्न धूल को नियंत्रित करने तथा पर्यावरण अनुकूल मानदंडों को सख्ती से लागू करने की होनी चाहिए। सरकार को चाहिए था कि खर्चीली कृत्रिम बारिश की योजना को सिरे चढ़ाने के बजाय हवा को अधिक प्रभावी ढंग से साफ करने को तरजीह दी जाती। निर्विवाद रूप से यह असफल प्रयोग सत्ताधीशों की एक बड़ी बीमारी को भी दर्शाता है, जो प्रदूषण नियंत्रण को बतौर कारगर नीति लागू करने के बजाय उसके समाधान के प्रयासों को प्रचारित करने की प्रवृत्ति से ग्रसित हैं। दिल्ली की कई सरकारों के कार्यकाल में प्रदूषण नियंत्रण कार्य में प्रगति कम हुई है और विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करके लोकलुभावनी योजनाओं का ज्यादा प्रचार होता रहा है। ऐसी नीतियों को सिरे चढ़ाने में सख्त अनुशासन की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं कि प्रदूषण के संकट का समाधान हेलीकॉप्टरों के जरिये आकाश में रसायन बिखेरने से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सुशासन, निरंतर योजना को क्रियान्वित करने और वैज्ञानिक उपायों को सिरे चढ़ाने में दृढ़ता दिखाने से होगा। कृत्रिम बारिश के इस प्रयोग की विफलता के बावजूद भविष्य में ऐसे प्रयोगों से हाथ पीछे खींचना भी उचित नहीं होगा। भले ही इस बार बादलों ने साथ नहीं दिया, लेकिन भविष्य में अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। इस प्रयोग का सबक है कि दिल्ली के लाखों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ ऐसी योजनाओं को सिरे चढ़ाना चाहिए।

जागरुकता और कानून सख्ती से ही रुकेंगी ऑनर किलिंग

"ऑनर किलिंग या लिंग आधारित हिंसा देश के राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि नेता वोट बैंक की राजनीति के कारण आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसी शर्मनाक घटनाओं को रोकने के लिए राजनीति, शैक्षिक और कानून के जरिए जागरुकता लाने की जरुरत है।

गुरुग्राम में पिता दीपक यादव ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गोली मार कर हत्या की थी। पिता और बेटी के बीच लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था। चार्जशीट में आरोपी पिता दीपक ने बताया कि उसके गांव के लोग उसे टोकते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो। बेटी के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इसलिए बेटी की हत्या कर दी। अभी तक यही माना जाता रहा है कि ऑनर किलिंग के ज्यादातर मामले गरीब और पिछड़ेपन के कारण ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही होते हैं, किन्तु गुरुग्राम में हुई इस घटना ने साबित कर दिया कि कुछ हद तक यह मानसिकता शिक्षित लोगों के बीच शहरों में भी व्याप्त है। देश एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था सहित दूसरे क्षेत्रों में छलांग लगा रहा है, वहीं आदिमयुगीन इस तरह की वारदात से भारत की छवि कलंकित हो रही है। दिल्ली की पत्रकार निरुपमा पाठक की मौत के साथ ऑनर किलिंग का मुद्दा सुर्खियों में आया था। आरोप था कि परिवार ने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि वह गर्भवती थीं और अपनी जाति के बाहर के व्यक्ति से शादी करने की योजना बना रही थीं। इसके बाद राजधानी में संदिग्ध ऑनर किलिंग के दो और मामले सामने आए। हालांकि राजधानी में ऑनर किलिंग की घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन भारत के उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आम हैं। ऑनर किलिंग के पीछे मूल कारण यह विचार है कि परिवार का सम्मान महिला की पवित्रता से जुड़ा होता है। ऑनर किलिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वैवाहिक बेवफाई, विवाह से पहले यौन संबंध, अनुचित संबंध, तय शादी से इनकार करना या यहां तक कि बलात्कार भी। भारत में ऑनर किलिंग तब होती है जब कोई जोड़ा अपनी जाति या धर्म के बाहर शादी करता है ।

करनाल की एक सत्र अदालत ने एक खाप पंचायत के आदेश के विरुद्ध विवाह करने वाले एक युवा जोड़े की हत्या के लिए पाँच लोगों को पहली बार मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने खाप पंचायत के उस सदस्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिसने विवाह को अमान्य घोषित कर दिया था और जो हत्या के समय मौजूद था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और आठ राज्यों को नोटिस जारी कर ऑनर किलिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करने को कहा था। सरकार ने सतर्क रुख अपनाते हुए तत्कालीन कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली के भारतीय दंड संहिता में संशोधन और खाप पंचायतों (जाति-आधारित संविधानेतर संस्थाएँ) पर लगाम लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने राज्यों से परामर्श करने और ऑनर किलिंग को एक सामाजिक बुराई मानने वाले एक विशेष कानून को लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक मंत्रिसमूह गठित करने का निर्णय लिया था।

तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में, जहाँ दलित समुदायों का अपेक्षाकृत अधिक सशक्तिकरण हुआ है, अंतर्जातीय विवाहों की दर भी अधिक दर्ज की गई है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण द्वितीय के अनुसार, अंतर्जातीय विवाहों की राष्ट्रीय दर लगभग 5% है, लेकिन सशक्त दलित आबादी वाले राज्यों में यह दर अधिक है। विडंबना यह है कि इन्हीं राज्यों में ऑनर किलिंग की घटनाएँ भी बढ़ी हैं। यह विरोधाभास एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करता है। ऑनर किलिंग वहाँ नहीं होती जहाँ जातिवाद सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, बल्कि वहाँ होती है जहाँ यह सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। जिन राज्यों में उत्पीड़ित लोग अभी भी अपनी "यथास्थिति" बनाए हुए हैं, वहाँ हिंसा कम होती है, इसलिए नहीं कि जातिवाद मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि इसे चुनौती नहीं दी जाती।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न रिपोर्टों में ऑनर किलिंग को विश्व में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया गया है, जो कि लैंगिक असमानता और पुरुष प्रधान समाजों में गहराई से निहित है। रिपोर्टों के अनुमान के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लगभग 5,000 ऑनर किलिंग होती हैं, जिनमें 20% मामले भारत में होते हैं, हालाँकि सटीक आंकड़े अज्ञात हैं क्योंकि सभी देश आधिकारिक डेटा नहीं रखते हैं। ये रिपोर्टें बताती हैं कि यह सिर्फ़ भारत की ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और यूरोप के देशों सहित अन्य क्षेत्रों की भी एक वैश्विक समस्या है। यह समस्या मुख्य रूप से मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में व्यापक है, लेकिन बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, इक्वाडोर, मिस्र, भारत, ईरान, इराक, इटली, मोरक्को, पाकिस्तान, स्वीडन, सीरिया, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में भी होती है। कई देशों में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर इन कानूनों का पालन नहीं किया जाता है या ये अपर्याप्त हैं। महिलाओं और लड़कियों के अलावा, एलजीबीटी समुदाय के लोग भी ऑनर किलिंग का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह समस्या मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और विशेष रूप से भारत में संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है। ऑनर किलिंग अन्य प्रकार की लैंगिक-आधारित हिंसा का ही एक रूप है, जैसे कि एसिड अटैक, यातना और अपहरण। भारत में जाति एक दोराहे पर खड़ी है। एक ओर, हम हिंसक प्रतिक्रियाएँ और ऑनलाइन महिमामंडन देख रहे हैं। दूसरी ओर, हम ऑनर किलिंग के खिलाफ मज़बूत लोकतांत्रिक आवाज़ें और सामाजिक मूल्यों से धीरे-धीरे दूर होती एक नई पीढ़ी देख रहे हैं।

भारत में जाति और लिंगभेद आधारित समस्या नहीं गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक परिघटना है। जाति केवल इसलिए नहीं टिकती और फलती-फूलती है क्योंकि व्यक्ति उस पर ज़ोर देते हैं, बल्कि इसलिए भी कि परिवार, समुदाय और समूची सामाजिक संरचनाएँ, जानबूझकर या अनजाने में, उसे लागू और वैध बनाती रहती हैं। जातिगत सीमाओं को पार करने वाले प्रेम संबंध, खासकर वे जो दलित पुरुषों और प्रभुत्वशाली जाति की महिलाओं के बीच होते हैं। ये संबंध केवल प्रेम या विद्रोह का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि सदियों पुरानी जातिगत पदानुक्रमों को सीधी चुनौती देते हैं। ऑनर किलिंग या लिंग आधारित हिंसा देश के राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि नेता वोट बैंक की राजनीति के कारण आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसी शर्मनाक घटनाओं को रोकने के लिए राजनीति, शैक्षिक और कानून के जरिए जागरुकता लाने की जरुरत है।

प्रेरणा

गुणों का राज्य : आचार्य चतुरसेन शास्त्री की मानवीय दृष्टि की अमर कथा

सन 1926 की बात है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार, वैद्य, इतिहासकार और विचारक आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक शास्त्रार्थ सम्मेलन में भाग लेने बिहार के भागलपुर गए थे। उस समय भारत सामाजिक रूढ़ियों, जाति-पांति और ऊंच-नीच की गहरी दीवारों से घिरा हुआ था। समाज में यह प्रचलित था कि कौन किसके हाथ का पानी पी सकता है, कौन किसके घर भोजन कर सकता है — यह सब व्यक्ति की जाति पर निर्भर करता था। परंतु आचार्य चतुरसेन जैसे महान व्यक्तित्व, जिनकी दृष्टि मानवता और विवेक पर आधारित थी, इन सीमाओं को न केवल तोड़ चुके थे, बल्कि अपने जीवन के आचरण से समाज को एक नई दिशा दिखा रहे थे।

भागलपुर पहुंचने पर आचार्य जी अपने एक पुराने परिचित के घर ठहरे। गृहस्वामी ने बड़े आदर और स्नेह से उनके लिए भोजन तैयार किया। सादगी से परोसा गया वह भोजन — दाल, चावल, शाक और रोटी — प्रेम से भरा हुआ था। आचार्य जी ने सादर ग्रहण किया और भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उनके कुछ स्थानीय मित्र वहां पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक आचार्य जी को कहा कि उनके लिए भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है और वे चलकर भोजन करें।

आचार्य जी ने मुस्कराकर उत्तर दिया — "मेरे लिए तो यहीं भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, और मैंने भोजन कर लिया है।" यह सुनकर उनके मित्रों के चेहरों पर आश्चर्य और असहजता छा गई। उनमें से एक बोला — "आचार्य जी, जिस व्यक्ति के घर आप ठहरे हैं, वे तो कलाल जाति के हैं। हम तो उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते, और आपने उनके घर भोजन कर लिया?"

यह सुनते ही आचार्य चतुरसेन शास्त्री के मुख पर गंभीर शांति छा गई। उन्होंने बड़े धैर्य से कहा — "भाइयो, मैं जात-पात की परवाह नहीं करता। मेरे लिए मनुष्य की जाति नहीं, उसके गुण और आचरण महत्व रखते हैं। यह गृहपति अत्यंत सज्जन, ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। उनके हाथ का भोजन मुझे अपवित्र नहीं, बल्कि पवित्र लगता है। मेरी आत्मा उन्हें किसी भी प्रकार से नीचा नहीं मान सकती।"

वे आगे बोले — "मुझे अपने जीवन में एक नहीं, दो बार चर्मकार जाति के एक विद्वान व्यक्ति के हाथ का शरबत पीने का अवसर मिला है। और मैं एक बार सेठ जमनालाल बजाज के घर एक ऐसी पंगत में भी भोजन कर चुका हूं, जिसमें ब्राह्मण, शूद्र, अछूत और मुसलमान — सभी एक साथ बैठे थे। मैंने सबके साथ भोजन किया और मुझे कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि मैं किसी प्रकार से अपवित्र हो गया हूं। सत्य तो यह है कि उस क्षण मैं स्वयं को पहले से अधिक शुद्ध, अधिक विनम्र और अधिक मानव महसूस कर रहा था।"

आचार्य जी का यह उत्तर उनके मित्रों के लिए जैसे आत्मा को झकझोर देने वाला था। उनकी दृष्टि में जिस समाज का ऊंच-नीच, छूआछूत और जातिगत भेदभाव में जीवन व्यतीत हो रहा था, उसके सामने यह विचार एक क्रांति के समान था। आचार्य जी ने उसी क्षण कहा — "जाति का बड़प्पन अब लद चुका है, अब गुणों का राज्य है।" यह वाक्य केवल उनके मुख से निकला एक विचार नहीं था, बल्कि एक युग की घोषणा थी। यह उस भारतीय चेतना का उद्घोष था जो यह कहती है कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म, उसके ज्ञान, उसके हृदय की पवित्रता और उसके आचरण में है, न कि उसके जन्म में। आचार्य चतुरसेन ने अपने जीवन से यह प्रमाणित किया कि सच्ची महानता किसी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उस भावना से उत्पन्न होती है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। जब एक ब्राह्मण, एक मुसलमान, एक चर्मकार और एक व्यापारी एक ही थाली में प्रेम से भोजन करते हैं, तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह सामाजिक समानता का प्रसाद बन जाता है।

उनके इस कथन — "अब गुणों का राज्य है" — में उस नए भारत का दर्शन है, जो जाति नहीं, बल्कि योग्यता और सदाचार पर टिका है। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि व्यक्ति की असली पहचान उसके वंश से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है।

यह प्रसंग केवल अतीत की एक घटना नहीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम समाज में जाति, धर्म या भाषा के आधार पर विभाजन देखते हैं, तो आचार्य चतुरसेन के ये शब्द हमारे अंतरात्मा को याद दिलाते हैं कि सच्चा सम्मान, सच्ची पवित्रता और सच्ची श्रेष्ठता केवल गुणों में निहित है।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जीवन और यह प्रसंग एक प्रेरणा है — कि जब तक समाज व्यक्ति के भीतर के गुणों का सम्मान नहीं करेगा, तब तक सच्ची मानवता और समानता का उदय नहीं होगा। और जिस दिन मनुष्य जाति, धर्म और ऊंच-नीच से ऊपर उठकर केवल गुणों को सम्मान देगा, उसी दिन सच में "गुणों का राज्य" स्थापित होगा — एक ऐसा राज्य जहाँ हर मनुष्य का मूल्य उसके हृदय की पवित्रता और उसके कर्म की गरिमा से तय होगा, न कि उसके जन्म से।

चीन-अमेरिका की भिड़ंत में उलझा विश्व, विवेकपूर्ण ढंग से दोनों देश को निकालना होगा समाधान

इस महीने की शुरुआत में चीनी वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना से दुनिया में हड़कंप सा मचा। इसके जरिये अस्तित्व में आने वाला नियम विश्व व्यापार और उत्पादन के तौर-तरीके बदल सकता है। यह नियम रेयर अर्थ मैटेरियल कहे जाने तत्वों, परमानेंट मैग्नेट्स और संबंधित तकनीकों के निर्यातों पर व्यापक नियंत्रण लगाता है। इस प्रविधान को समझें तो किसी भी कंपनी का उत्पाद जिसमें चीनी-प्रसंस्कृत रेयर अर्थ का 0.1 प्रतिशत हिस्सा भी शामिल है, उसे उसकी बिक्री या निर्यात से पहले बीजिंग की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

सैन्य उपयोग के लिए निर्यात को तो सैद्धांतिक रूप से प्रतिबंधित ही कर दिया गया है, जबकि सेमीकंडक्टर्स और एआइ से संबंधित मामलों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सतही तौर पर तो चीन की यह पहल यह एक संकीर्ण व्यापार नियम जैसी प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह वैश्विक आर्थिक शक्ति के संतुलन में किसी निर्णायक पड़ाव से कम नहीं है।

रेयर अर्थ असल में 17 धातुओं का एक समूह है, जिनकी लड़ाकू विमान, पवन ऊर्जा टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और चिकित्सा स्कैनर जैसे तमाम आधुनिक उत्पादों के निर्माण में अहम भूमिका होती है। मूल रूप से इनकी उपलब्धता उतनी दुर्लभ नहीं, जितना जटिल और महंगा इन्हें परिष्कृत कर उपयोग में लाने की पूरी प्रक्रिया है। यह पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचाती है। तीन दशकों के दौरान चीन ने इन सामग्रियों के खनन, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए दुनिया का सर्वोत्तम तंत्र स्थापित कर लिया है।

रेयर अर्थ के करीब 70 प्रतिशत खनन और 90 प्रतिशत परिष्करण में चीन की हिस्सेदारी से इस मोर्चे पर उसका दबदबा समझा सकता है। इस नए नियम के साथ चीन इस कोशिश में लगा है कि वह अपने औद्योगिक प्रभुत्व को रणनीतिक नियंत्रण के कानूनी उपकरण में बदल सके। पहली बार वह अमेरिकी नियमों के समान एक ऐसा ढांचा बना रहा है। अमेरिका भी अपने प्रभुत्व वाले उत्पादों की बिक्री एवं निर्यात के मामले में मनमाने प्रविधान करता आया है। बीजिंग ने इसे इस रूप में और विस्तार दे दिया है कि अगर उसकी आपूर्ति वाले रेयर अर्थ का किसी तैयार उत्पाद में लेशमात्र भी उपयोग होता है तो उसके बारे में निर्णय का अधिकार उसका ही होगा। यह देशों की आर्थिक संप्रभुता को चुनौती देने वाला है।

यह चीन की एक बड़ी रणनीतिक योजना है, जिसमें कानून, नियम और लाइसेंसिंग का उपयोग भू-राजनीतिक शक्ति के उपकरणों के रूप में किया जाता है। एक समय अमेरिका ने चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग के खिलाफ अतिरिक्त क्षेत्रीय व्यापार नियंत्रणों का उपयोग किया था। बीजिंग अब उन तरीकों को दोहरा रहा है। प्रत्येक पक्ष अपने कार्यों को 'रक्षात्मक' के रूप में सही ठहराता है, लेकिन दोनों आर्थिक प्रतिशोध का ही प्रतीक हैं।

चीन के इस कदम से कंपनियों को अब जटिल कागजी कार्रवाई, स्थानीय मध्यस्थों और स्वीकृति से जुड़ी श्रृंखलाओं के माध्यम से कोई तोड़ निकालना होगा। इसमें कई महीनों का समय भी लग सकता है। औपचारिक स्वीकृति के बिना आर्डर प्रभावित हो सकते हैं।

मानो इतना ही पर्याप्त नहीं। चीन ने अपने पेशेवरों की रेयर अर्थ से जुड़ी विदेशी परियोजनाओं में सहभागिता पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण सीमित हो गया है। इसने डाटा, बैटरियों और औद्योगिक मानकों पर निगरानी भी बढ़ा दी है। स्वाभाविक है कि कीमतों का परिदृश्य भी इस परिवर्तन से प्रभावित होगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स में उपयोग होने वाले प्रमुख रेयर अर्थ नियोडिमियम और डाइसप्रोसियम की कीमतें बढ़ गई हैं। निर्माता गैर-चीनी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी और आस्ट्रेलियाई विकल्पों की निर्बाध आपूर्ति में अभी कई साल लग सकते हैं। परिणामस्वरूप स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। इसके पीछे मांग में कमी नहीं, बल्कि कच्चे माल की बाधाएं अधिक जिम्मेदार होंगी। ऐसा नहीं कि इसमें चीन के लिए कोई जोखिम नहीं हैं। उसके ऐसे कड़े नियंत्रण से वैश्विक खरीदार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में विकल्प खोजने में जुटेंगे। याद रहे कि कड़ी लाइसेंसिंग खुद अपने उद्योगों में नवाचार को हतोत्साहित करती है।

वर्तमान परिस्थितियां दुनिया को दो अलग प्रणालियों में विभाजित कर रही है। एक के केंद्र में चीन है, जो खनन, परिष्करण और उत्पादन को एक ही राज्य-नियंत्रित ढांचे में एकीकृत करता है। दूसरी प्रणाली के केंद्र में अमेरिका है, जहां सब्सिडी और औद्योगिक नीति के माध्यम से क्षमताओं को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह दोहराव लचीलापन तो बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें लागत बढ़ोतरी का पहलू भी शामिल है। इतना ही नहीं, इससे स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की दिशा में हो रही प्रगति भी धीमी पड़ सकती है। अन्य देशों के लिए इसमें जोखिम और अवसर दोनों ही विद्यमान हैं। ये देश वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में नए निवेश को आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिस्पर्धी कानूनी प्रणालियों और राजनीतिक दबावों के मोर्चे पर कोई कारगर युक्ति निकालनी होगी।

चीन का दृष्टिकोण सुनियोजित प्रतीत होने के बावजूद अस्पष्ट है। वहीं, अमेरिकी कार्रवाइयों में पारदर्शिता की झलक के साथ ही उनकी प्रकृति अस्थिर एवं अनियमित है। दोनों ही देश अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक विकल्पों को हथियार बनाने में लगे हैं, लेकिन शायद ही किसी को उनके दीर्घकालिक परिणामों की कोई परवाह है। बीजिंग और वाशिंगटन दोनों को यह समझना होगा कि बेलगाम प्रभुत्व की स्थिति बहुत नाजुक होती है। यह अपने ही साझेदारों को दूर करके अंततः स्वयं को ही कमजोर करती है। स्मरण रहे कि शक्ति केवल संसाधनों के स्वामित्व में नहीं, बल्कि उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से संचालित करने की क्षमता में निहित है। कानून और प्रभाव के इस नए युग में वही राष्ट्र इस सदी की नियति निर्धारित करेंगे, जो संयम, पारदर्शिता और समन्वय का परिचय देंगे।

अभियान

अर्जुन का पाशुपतास्त्र : वह दिव्य अस्त्र जो एक ही दिन में समाप्त कर सकता था महाभारत का युद्ध

महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि वह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, मानवता और अहंकार के बीच हुआ वह विराट संग्राम था, जिसने संपूर्ण भारतीय संस्कृति की आत्मा को झकझोर दिया। यह युद्ध कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर लड़ा गया, जहाँ कौरव और पांडव आमने-सामने थे — एक ओर अधर्म का साम्राज्य, दूसरी ओर धर्म की रक्षा का संकल्प। अठारह दिनों तक चला यह भयंकर युद्ध मानव इतिहास का सबसे महान और त्रासदीपूर्ण युद्ध कहा जा सकता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस युद्ध को अर्जुन केवल एक दिन में समाप्त कर सकते थे, उनके पास ऐसा दिव्य अस्त्र था, जो समस्त पृथ्वी का विनाश कर देने की क्षमता रखता था — पाशुपतास्त्र।

यह दिव्य अस्त्र भगवान शिव का था, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन माना गया है। अर्जुन ने इसे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कथा है कि जब अर्जुन अपने वनवास काल में दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे, तब भगवान शिव ने शिकारी के रूप में प्रकट होकर उनकी परीक्षा ली। अर्जुन ने उस परीक्षा में अपनी वीरता और निष्ठा का परिचय दिया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया और कहा — "हे पार्थ, यह अस्त्र समस्त अस्त्रों का अधिपति है। इसके प्रयोग से समस्त सृष्टि का विनाश संभव है। इसका उपयोग केवल तब करना जब समस्त धर्म का नाश हो जाए।"

पाशुपतास्त्र की शक्ति का वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार किया गया है कि यह न केवल मानव सेना, बल्कि दैत्य, राक्षस, असुर, देवता, गंधर्व, यक्ष — सभी लोकों का विनाश कर सकता है। इसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश — पाँचों तत्वों की संयुक्त प्रलयकारी ऊर्जा निहित होती है। यह भगवान शिव के संहार रूप रुद्र का प्रतीक है, जो सृष्टि के अंत का संकेत देता है।

महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने देखा कि कौरवों की सेना निरंतर बढ़ रही है, और अधर्म का अंधकार फैल रहा है, तब एक क्षण के लिए उन्होंने पाशुपतास्त्र के प्रयोग का विचार किया। किंतु उन्होंने तुरंत अपने गुरु भगवान श्रीकृष्ण की ओर देखा। श्रीकृष्ण ने शांत स्वर में कहा — "पार्थ, पाशुपतास्त्र का प्रयोग केवल तब होना चाहिए जब धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाए। यदि इसे तुम रणभूमि में चलाओगे, तो केवल कौरव ही नहीं, सम्पूर्ण पृथ्वी जल उठेगी। यह युद्ध का अंत नहीं, सृष्टि का अंत होगा।"

अर्जुन ने अपने गुरु की वाणी को ही परम धर्म माना और उस अस्त्र को संचित रखा। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि धर्म की विजय का मार्ग विनाश नहीं, संयम और विवेक है। इसी कारण उन्होंने पाशुपतास्त्र को कभी प्रयोग में नहीं लाया। यह अर्जुन की महानता थी कि जिनके पास संसार का सबसे घातक अस्त्र था, उन्होंने उसे नियंत्रित रखा। यही सच्चे योद्धा का परिचायक है — जो अपने बल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि नियंत्रण में ही अपनी शक्ति का सौंदर्य देखता है।

पाशुपतास्त्र की तुलना में ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वासवी शक्ति और आग्नेयास्त्र भी अत्यंत शक्तिशाली थे। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का विनाशकारी अस्त्र था, जिसका उपयोग भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और स्वयं अर्जुन को आता था। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र चलने पर चारों दिशाएँ जल उठती थीं और वर्षा, वायु, अग्नि सभी असंतुलित हो जाते थे।

अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र था, जो भगवान विष्णु का प्रिय अस्त्र था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने कोई अस्त्र टिक नहीं सकता था। लेकिन यह केवल अहंकार और हिंसा से भरे हुए लोगों को ही भस्म करता था। पांडवों की सेना में जब नारायणास्त्र चलाया गया, तब श्रीकृष्ण ने सभी योद्धाओं को आदेश दिया कि अपने शस्त्र रखकर नम्रता से झुक जाएँ। जिन्होंने झुककर नम्रता दिखाई, वे बच गए; जिन्होंने अहंकार दिखाया, वे भस्म हो गए। यह अस्त्र सिखाता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा कवच है।

इसी प्रकार कर्ण के पास वासवी शक्ति थी, जो इंद्र द्वारा दी गई थी और केवल एक बार चल सकती थी। वह अस्त्र अर्जुन को मार सकता था, पर कर्ण ने पहले गत्वकर्ण नामक राक्षस पर प्रयोग कर दिया, जिससे उसका प्रभाव समाप्त हो गया।

इन सभी अस्त्रों में भी पाशुपतास्त्र सर्वोपरि था — वह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि शिव की चेतना का प्रतीक था। उसमें सृष्टि की रचना और संहार, दोनों की शक्ति समाहित थी। यदि अर्जुन उसे प्रयोग करते, तो न केवल महाभारत का युद्ध एक दिन में समाप्त होता, बल्कि समस्त पृथ्वी का अस्तित्व भी मिट जाता। इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उसे संयम में रखा।

अर्जुन के इस निर्णय ने उन्हें केवल एक वीर नहीं, बल्कि एक संत योद्धा बना दिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति वही है, जो अपने क्रोध और सामर्थ्य को नियंत्रण में रख सके। पाशुपतास्त्र के न चलने से युद्ध तो लंबा चला, पर मानवता बची रही।

महाभारत का यह प्रसंग केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन का एक शाश्वत संदेश है — कि विनाश की शक्ति हमारे भीतर होती है, पर उसे संयम से रोकना ही सच्चा धर्म है। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने वास्तव में "वीरता" की परिभाषा को नया अर्थ दिया और दिखाया कि संसार में सबसे बड़ा योद्धा वही है जो शस्त्र नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पा ले।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का उत्सव

▸▸ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का भव्य उत्सव

▸▸ भारत पर्व 2025 (1 से 15 नवंबर) - 15 दिन के लिए एक ही स्थान पर भारत की विविधता में एकता को दर्शाने वाली संस्कृति की झलक

▸▸ 15 दिन के कार्यक्रम के मुख्य घटक : 100 फूड, हस्तकला तथा हथकरघा स्टॉल, विभिन्न राज्यों के पैवेलियन एवं 28 राज्यों व 8 केंद्रशासित प्रदेशों की सांस्कृतिक प्रदर्शनियाँ

▸▸ 15 नवंबर : स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भगवान बिरसा मुंडा जयंती का भव्य उत्सव

▸▸ 16 व 17 नवंबर : उत्सव के समापन अवसर पर एकता नगर में साइक्लोथॉन इवेंट आयोजित होगी। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केबिनेट मंत्री तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि, साथ ही विख्यात कलाकार, कारीगर एवं विशेष अतिथि इस 15 दिनों के उत्सव के विभिन्न दिनों में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : कल यानी 31 अक्टूबर शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात में एकता नगर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के सहयोग से 'राष्ट्रीय एकता दिवस' समारोहपूर्वक मनाया जाएगा। इस उत्सव के साथ ही; आगामी 1 से 15 नवंबर, 2025 के दौरान एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में 'भारत पर्व 2025' का आयोजन किया गया है। इस भारत पर्व के दौरान देश की विविधता में एकता की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को उजागर करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत पर्व कार्यक्रम पहली बार दिल्ली से बाहर गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एकतागर में आयोजित हो रहा है।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय तथा गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग एवं युवा सेवा सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग के सहयोग से सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर में भारत पर्व 2025 भव्य रूप से मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को प्रस्तुत करेगा। इस अवसर पर अनेकता में एकता दर्शाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित होंगे।

विभिन्न कार्यक्रम

1 – 15 नवंबर 2025 – भारत पर्व 2025

भारत पर्व के विषय में :

भारत पर्व हर वर्ष आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है; जो भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत, खाद्य परंपरा एवं कलात्मक कौशल्य को दर्शाता है तथा राष्ट्रीय एकता व सामूहिक गौरव का संदेश देता है।

इस वर्ष यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के साथ सुसंगत है और इस बार का भारत पर्व भारत की विविधता, एकता व शक्ति का उत्सव मनाने वाले एक भव्य उत्सव-समारोह के रूप में एक आइकॉनिक पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में मनाया जाएगा। विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के जन प्रतिनिधि, साथ ही विख्यात कलाकार, कारीगर तथा विशेष अतिथि इस 15 दिवसीय उत्सव के विभिन्न दिनों में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

मुख्य आकर्षण :

▸▸ प्रतिदिन शाम को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में डैम व्यू पॉइंट 1, वैली ऑफ फ्लॉवर के पास बनाए गए सांस्कृतिक मंच पर दो अलग-अलग राज्यों की जोड़ी में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, जो उन राज्यों की अनूठी परंपरा व कला फॉर्म्स को प्रदर्शित करेंगी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती उत्सव के लिए विशेष प्रस्तुति आयोजित होगी।

▸▸ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जंगल सफारी के पास विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के व्यंजन परोसने वाले 45 फूड स्टॉल तथा एक लाइव स्टूडियो किचन का आयोजन।

▸▸ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में जंगल सफारी के पास 55 हस्तकला स्टॉल, जो भारत के विभिन्न राज्यों की विविधतापूर्ण एवं नवीन हस्तकला प्रदर्शित करेंगे।

▸▸ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में जंगल सफारी के पास भारत दर्शन पैवेलियन में विभिन्न राज्यों के पैवेलियन बनाए गए हैं, जो उनके प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करेंगे।

16 – 17 नवंबर 2025 – स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में साइक्लोथॉन

उत्सव के समापन अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में साइक्लोथॉन इवेंट आयोजित होगी।

▸▸ 16 नवंबर : साइकलिंग फन राइड।

▸▸ 17 नवंबरः साइकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात के सहयोग से साइक्लोथॉन प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें देशभर से लगभग 5,000 साइकिल चालक भाग लेंगे।

1 से 14 नवंबर के दौरान निम्नानुसार विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे :

1 नवंबर – गुजरात
2 नवंबर – तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख
3 नवंबर – पंजाब, आंध्र प्रदेश
4 नवंबर – हिमाचल प्रदेश, केरल
5 नवंबर – उत्तराखंड, कर्नाटक
6 नवंबर – हरियाणा, तेलंगाना
7 नवंबर – राजस्थान, असम
8 नवंबर – महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
9 नवंबर – गोवा, झारखंड
10 नवंबर – दिल्ली, सिक्किम, छत्तीसगढ़
11 नवंबर – मध्य प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड
12 नवंबर – उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश
13 नवंबर – बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम
14 नवंबर – चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमण, दीव एवं दादरा नगरहवेली, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से गांधीनगर में भारत में इटली के राजदूत श्री एंटोनियो बार्टोली ने की शिष्टाचार भेंट

▸▸ मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, वेस्ट टू एनर्जी, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और स्मार्ट मोबिलिटी के क्षेत्रों में आपसी सहभागिता की संभावनाओं पर हुई चर्चा

▸▸ गुजरात ने पॉलिसी ड्रिवन स्टेट और मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने के साथ ही प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत@2047' के संकल्प के लिए 'लिविंग वेल, अर्निंग वेल' के लक्ष्य के साथ 'विकसित गुजरात@2047' का रोडमैप तैयार किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ इटली के राजदूत ने गुजरात के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को इटली आने का आमंत्रण दिया

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत-इटली के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत बने हैं

(जीएनएस)। गांधीनगर : इटली के राजदूत श्री एंटोनियो बार्टोली ने गुरुवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की।

उन्होंने यूरोप में दूसरे सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पावरहाउस इटली की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विशेषज्ञता के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ इस मुलाकात के दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में प्रसिद्ध गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर भागीदारी की संभावनाओं के बारे में सार्थक परामर्श किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इटली के राजदूत के गुजरात के पहले दौरे में उनका स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को पूरा करने के लिए गुजरात 'विकसित गुजरात@2047' के रोडमैप के साथ अगुवाई करने को प्रतिबद्ध है।

इस संदर्भ में उन्होंने इटली के राजदूत श्री एंटोनियो बार्टोली को अधिक जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात ने पॉलिसी ड्रिवन स्टेट और देश का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के साथ ही 'विकसित गुजरात@2047' के रोडमैप में 'लिविंग वेल, अर्निंग वेल' यानी बेहतर जीवन, बेहतर कमाई के लक्ष्य के साथ राज्य की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति के नए मील के पत्थर स्थापित करने का दृष्टिकोण अपनाया है।

इटली के राजदूत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुए भारत-इटली के द्विपक्षीय संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इटली दौरे के दौरान डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन और मोबिलिटी लिंकेज पर फोकस करके दोनों देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने पर बनी सहमति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के सेतु को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 मुद्दों का जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान तैयार किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भी इस एक्शन प्लान के संबंध में गुजरात के साथ सुसंगत क्षेत्रों में इटली-गुजरात के सहयोग के विषय में विचार-विमर्श किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, वेस्ट टू एनर्जी, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कनेक्टिविटी, स्मार्ट मोबिलिटी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गुजरात के साथ सहभागिता की परस्पर उज्ज्वल संभावनाओं को लेकर विचार विमर्श किया।

इटली के राजदूत श्री एंटोनियो बार्टोली ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को इटली-गुजरात के संबंधों को और भी व्यापक स्तर पर विकसित करने और आपसी समान हित के क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए गुजरात के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को इटली की यात्रा पर आने का आमंत्रण भी दिया।

इस शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव सुश्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह और उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप भी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एकता नगर में 1220 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी

▸▸ प्रधानमंत्री ने भारत रत्न सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट का अनावरण किया

▸▸ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों ने सरदार साहब की जीवन-दर्शन पर आधारित नाटिका का सुंदर मंचन किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' परिसर की पर्यटन आकर्षण परियोजनाओं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 1220 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भेंट दी। उन्होंने इस अवसर पर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करने वाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया।

वडोदरा से एकता नगर पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सीधे डैम व्यू पॉइंट गए, जहां उन्होंने सबसे पहले भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलन में लाए जाने वाले 150 रुपए के स्मारक सिक्के और विशेष डाक टिकट का अनावरण किया। इसके बाद, उन्होंने उपरोक्त विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उनके साथ मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) के चेयरमैन श्री मुकेश पुरी भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें 367.25 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, 140.45 करोड़ रुपए की लागत से विजिटर्स सेंटर, 90.46 करोड़ रुपए के खर्च से वीर बालक उद्यान, 27.43 करोड़ रुपए के खर्च से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ट्रैवलेटर का एक्सटेंशन, 23.60 करोड़ रुपए के खर्च से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 22.29 करोड़ रुपए के खर्च से 24 मीटर चौड़ी एकता नगर कॉलोनी रोड, 12.50 करोड़ रुपए के खर्च से जेटी डेवलपमेंट, 3.48 करोड़ रुपए के सेंट्रस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बैरेक्स, 12.50 करोड़ रुपए के खर्च से शूलपाणेश्वर मंदिर के पास जेटी विकास, 12.85 करोड़ रुपए के खर्च से वर्षा वन जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें एकता नगर में 56.33 करोड़ रुपए की लागत से स्टाफ क्वार्टर्स, 303 करोड़ रुपए की लागत से बिरसा मुंडा भवन, 54.65 करोड़ रुपए के खर्च से हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट (फेज-1), 30 करोड़ रुपए की लागत से 25 ई-बसें, 20.72 करोड़ रुपए के खर्च से सतपुड़ा प्रोटेक्शन वॉल तथा रिवरफ्रंट, 18.68 करोड़ रुपए के खर्च से वामन वृक्ष वाटिका (बोनसाई गार्डन), 8.09 करोड़ रुपए के खर्च से वॉक-वे (फेज-2), 5.55 करोड़ रुपए का एप्रोच रोड, 5.52 करोड़ रुपए के खर्च से ई-बस चार्जिंग डिपो, 4.68 करोड़ रुपए के खर्च से स्मार्ट बस स्टॉप (फेज-2), 3.18 करोड़ रुपए के खर्च से सीसी रोड, 1.48 करोड़ रुपए के खर्च से डैम रेप्लिका एंड गार्डन, 1.09 करोड़ रुपए के खर्च से एसबीबी गार्डन शामिल हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत दृश्य-श्रव्य माध्यम से सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन-दर्शन पर आधारित नाटिका की प्रस्तुति से हुई, जिसमें सरदार पटेल की बाल्यावस्था के साहस, स्कूल में किताबों की बढ़ी कीमत पर विरोध, पत्नी के निधन की खबर आने के बावजूद अदालत में बहस जारी रखना, अहमदाबाद और बारडोली के आंदोलन, तिलक-गांधी जी मिलन तथा जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर सहित अन्य रियासतों के विलीनीकरण सहित दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया। इसके साथ ही 'ना देंगे धान, ना ही देंगे लगान' जैसे जोशपूर्ण गीत के साथ नाटक का शानदार मंचन किया गया। नाटक के समापन पर प्रेक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और सेना के जवानों सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे मना रही है सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2025

(जीएनएस)। पहली तस्वीर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री पृथ्वीराज के. चव्हाण मुख्य भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में श्री चव्हाण, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता, पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार और पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन "सतर्कता बुलेटिन - 2025" का विमोचन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर पश्चिम रेलवे की सांस्कृतिक टीम द्वारा प्रस्तुत नाटक की है।

पश्चिम रेलवे पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक "सतर्कताः हमारी साझा ज़िम्मेदारी" विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य लोक प्रशासन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने में कर्मचारियों और जनता की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सप्ताह

भर चलने वाले इस आयोजन के अंतर्गत नैतिक आचरण और सुशासन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और जनजागरण गतिविधियाँ आयोजित की गईं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 30 अक्टूबर, 2025 को मुख्यालय कार्यालय, चर्चगेट में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य भाषण मुख्य अतिथि, बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री पृथ्वीराज के. चव्हाण ने दिया। कार्यक्रम के दौरान श्री चव्हाण द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता, अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार और वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन के साथ मिलकर "सतर्कता बुलेटिन - 2025" विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम रेलवे की सांस्कृतिक टीम द्वारा "चाय पानी" नामक एक आकर्षक नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता के महत्व पर प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला गया।

पूरे सप्ताह के दौरान पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों, कारखानों और क्षेत्रीय इकाइयों में विभिन्न गतिविधियाँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सहभागी सतर्कता को बढ़ावा दिया जा सके और यह संदेश दिया जा सके कि सतर्कता प्रत्येक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है।

वडोदरा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का ऊष्मापूर्ण स्वागत

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस तथा सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में सहभागी होने के लिए गुजरात आए हैं। प्रधानमंत्री गुरुवार को वडोदरा हवाई अड्डे पहुँचे, जहाँ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित महानुभावों द्वारा उनका ऊष्मापूर्ण स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री एकता नगर में विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वहाँ रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस तथा सरदार वल्लभभाई पटेल के 150वें जयंती समारोह में उपस्थित रहेंगे। वडोदरा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, महापौर श्रीमती पिंकीबेन सोनी, पुलिस आयुक्त श्री नरसिंहा कोमार, जिला कलेक्टर श्री अनिल धामेलिया ने उपस्थित रहकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

राजकोट-महबूबनगर और ओखा-मदुरै के बीच चलायी जाएंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

टिकटों की बुकिंग 1 नवम्बर से

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए और राजकोट-महबूबनगर और ओखा-मदुरै के बीच विशेष किराये पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन नंबर 09575/09576 राजकोट-महबूबनगर साप्ताहिक स्पेशल (4-4 फेरे)

ट्रेन नंबर 09575 राजकोट-महबूबनगर स्पेशल 3 नवम्बर 2025 से लेकर 24 नवम्बर 2025 तक की अवधि के दौरान प्रति सोमवार को राजकोट से 13.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20.00 बजे महबूबनगर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 09576 महबूबनगर-राजकोट स्पेशल 4 नवम्बर 2025 से लेकर 25 नवम्बर 2025 तक की अवधि के दौरान प्रति मंगलवार को महबूबनगर से 23.00 बजे प्रस्थान करेगी और गुरुवार को 05.00 बजे राजकोट पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वांकानेर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, नडियाद, आणंद, वडोदरा, उधना, नंदुरबार, जलगांव, भुसावल, अकोला, वाशिम, हिंगोली, बसमत, पूर्णा, नांदेड़, मुदखेड़, धरमाबाद, बासर, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडचल, काचीगुड़ा, शादनगर और जडचर्ला स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, सेकंड स्लीपर और जनरल कोच रहेंगे।

2. ट्रेन नंबर 09520/09519 ओखा-मदुरै साप्ताहिक स्पेशल (4-4 फेरे)

ट्रेन संख्या 09520 ओखा-मदुरै स्पेशल 3 नवम्बर 2025 से लेकर 24 नवम्बर 2025 तक की अवधि के दौरान प्रति सोमवार को ओखा से 22.00 बजे प्रस्थान करेगी और गुरुवार को 11.40 बजे मदुरै पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09519 मदुरै-ओखा स्पेशल 7 नवम्बर 2025 से लेकर 28 नवम्बर 2025 तक की अवधि के दौरान प्रति शुक्रवार को मदुरै से 04.00 बजे रवाना होगी और रविवार को 10.20 बजे ओखा पहुंचेगी।यह ट्रेन दोनों दिशाओं में द्वारका, जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, अहमदाबाद, नडियाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, उधना, नंदूरबार, आमलनेर, जलगांव, भुसावल, अकोला, पूर्णा, एच साहिब नांदेड़, निजामाबाद, काचीगुडा, महबूबनगर, डोन, गूटी, रेनीगुंटा, काटपाडी, वैल्लोर छावनी, तिरुवन्नामलाई, विलूपुरम, श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली, मणप्पारै, डिंडीगुल एवं कोडाईकनाल रोड स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, सेकंड स्लीपर और जनरल कोच रहेंगे। ट्रेन नंबर 09575 राजकोट-महबूबनगर स्पेशल और ट्रेन नंबर 09520 ओखा-मदुरै स्पेशल की बुकिंग 1 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के स्टोपेज, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में यूनिटी मार्च को रवाना करेंगे

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा यूनिटी मार्च और एकता शपथ का आयोजन

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार, 31 अक्टूबर को अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) की ओर से आयोजित 'सरदार@150 यूनिटी मार्च' को रवाना करेंगे। अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' के संदेश को और भी मजबूत करने के लिए इस यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

सुबह 7.30 बजे सरदार पटेल कॉलोनी, नारणपुरा स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से यूनिटी मार्च को रवाना करेंगे। यह यूनिटी मार्च नारणपुरा सरदार पटेल कॉलोनी से शुरू होकर सरदार पटेल स्टेडियम रोड और सीजी रोड होते हुए आश्रम रोड पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर समाप्त होगा।

इस यूनिटी मार्च में महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, सांसद, विधायक, उप महापौर श्री जतिन पटेल, मनपा स्थाई समिति के अध्यक्ष श्री देवांग दाणी, मनपा शासक पक्ष के नेता श्री गौरांग प्रजापति, दंडक श्रीमती शीतल डागा, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, पार्षदगण, नागरिक, युवा, विद्यार्थी और खेल प्रेमी उपस्थित रहेंगे।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जोधपुर,के बीच चलाएगी एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन,ट्रेन संख्या 09007/09008 वलसाड-खातीपुरा के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा त्यौहारी सीज़न दौरान उनकी यात्रा माँग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं जोधपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा, ट्रेन संख्या 09007/09008 वलसाड-खातीपुरा के फेरों को मौजूदा समय, ठहराव और संरचना के अनुसार विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

1. ट्रेन संख्या 04834/04833 बांद्रा टर्मिनस – जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 04834 बांद्रा टर्मिनस – जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार, 03 नवम्बर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:25 बजे जोधपुर पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04833 जोधपुर – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल, रविवार 02 नवम्बर, 2025 को जोधपुर से 06:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, वनस्थली निवाई, दुर्गापुरा, जयपुर, आसलपुर जोबनेर, फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09007/09008 वलसाड-खातीपुरा साप्ताहिक स्पेशल के फेरे विस्तारित [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09007 वलसाड-खातीपुरा स्पेशल के फेरों को 27 नवम्बर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09008 खातीपुरा-वलसाड स्पेशल के फेरों को 28 नवम्बर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 04834 और ट्रेन संख्या 09007 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 01 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

41,900 करोड़ का कथित घोटाला! कोबरापोस्ट की रिपोर्ट से कॉरपोरेट जगत में मचा भूचाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के प्रमुख खोजी पोर्टल कोबरापोस्ट ने गुरुवार को एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसने पूरे कॉरपोरेट जगत में तूफान ला दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की विभिन्न कंपनियों ने वर्ष 2006 से अब तक करीब 41,921 करोड़ रुपये की भारी-भरकम वित्तीय गड़बड़ी की है। इस रकम को बैंकों से लिए गए कर्ज, आईपीओ और बॉन्ड्स के जरिये जुटाया गया और फिर एक सुनियोजित तरीके से विदेशी मुखौटा कंपनियों (Shell Companies) के माध्यम से इधर-उधर कर दिया गया।

कोबरापोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया धनशोधन (Money Laundering) और कंपनी अधिनियम, सेबी अधिनियम, फेमा, आयकर कानून और धनशोधन निवारक अधिनियम (PMLA) के कई प्रावधानों का सीधा उल्लंघन करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन कंपनियों के फंड्स को निजी उपयोग और विलासिता पर खर्च किया गया, जिससे न केवल शेयरधारकों को नुकसान हुआ बल्कि भारत की आर्थिक पारदर्शिता पर भी गहरा सवाल उठ गया है।

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस जैसी कंपनियों से 28,874 करोड़ रुपये प्रवर्तकों से जुड़ी निजी कंपनियों में भेजे गए। वहीं करीब $1.53 अरब (13,047 करोड़ रुपये) विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भारत में वापस लाए गए, जिनमें सिंगापुर, मॉरीशस, साइप्रस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनियों का इस्तेमाल किया गया।

रिपोर्ट में विशेष रूप से सिंगापुर स्थित कंपनी 'Emerging Market Investments and Trading PTE (EMITS)' का उल्लेख किया गया है, जिसे रहस्यमयी कंपनी 'Nexgen Capital' से 75 करोड़ डॉलर की राशि प्राप्त हुई थी। बाद में यह रकम रिलायंस समूह की मूल कंपनी Reliance Innoventures को ट्रांसफर कर दी गई। कोबरापोस्ट का कहना है कि यह पूरा लेनदेन धनशोधन की परिभाषा में पूरी तरह फिट बैठता है।

जांच में यह भी सामने आया कि समूह ने कथित तौर पर कंपनियों के पैसों से 2008 में 2 करोड़ डॉलर की एक लग्ज़री यॉट खरीदी, जिसका उपयोग कॉरपोरेट खर्च के नाम पर किया गया। कई स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स (SPVs) और पास-थ्रू इकाइयाँ भी बनाई गईं, जिनका उद्देश्य केवल धन के प्रवाह को छिपाना था। रिपोर्ट में कहा गया कि इन इकाइयों को बाद में बंद कर दिया गया ताकि वित्तीय ट्रेल को मिटाया जा सके।

कोबरापोस्ट के संपादक अनिरुद्ध बहल ने दावा किया कि इस कथित फर्जीवाड़े की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को करीब 3.38 लाख करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जिसमें बैंकों के NPA (फंसे हुए कर्ज) और कंपनियों के मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट शामिल है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कॉरपोरेट स्कैंडल नहीं बल्कि पूरे भारतीय वित्तीय सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर हमला है।

बहल ने कहा, "यह मामला किसी एक उद्योगपति तक सीमित नहीं है। यह उस सिस्टम की पोल खोलता है जहां सत्ता, पैसे और प्रभाव के बल पर कानून को भी मोड़ा जा सकता है। अगर इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह देश की वित्तीय नैतिकता के लिए एक बड़ा झटका होगा।"

दूसरी ओर, रिलायंस समूह ने इन सभी आरोपों को "भ्रामक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण" बताया है। समूह ने कहा कि यह रिपोर्ट "पुराने आरोपों की नई पैकेजिंग" मात्र है। कंपनी ने अपने बयान में कहा,

"हमारे खिलाफ लगाए गए ये आरोप पहले भी जांच एजेंसियों के सामने रखे जा चुके हैं। यह रिपोर्ट हमारे 55 लाख शेयरधारकों की साख को धूमिल करने की एक सोची-समझी कोशिश है।"

रिलायंस समूह ने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरा मामला उन व्यावसायिक इकाइयों की साजिश है जो समूह की प्रमुख संपत्तियाँ — जैसे BSES लिमिटेड, मुंबई मेट्रो और रोज़ा पावर प्रोजेक्ट (1200 मेगावाट) — सस्ते दामों पर खरीदना चाहते हैं। समूह ने सेबी (SEBI) से अपील की है कि वह हाल में कंपनी के शेयरों में हुई असामान्य गतिविधियों की जांच करे।

अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या केंद्र सरकार, सेबी या प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस नए खुलासे पर कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या नहीं।

वित्तीय गलियारों में चर्चा है कि अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो यह देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटालों में से एक हो सकता है। फिलहाल सवाल यही है —

क्या यह मामला भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा "मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल" बनकर उभरेगा,

या फिर हर बार की तरह सत्ता, पैसे और प्रभाव की आंधी में सच दब जाएगा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द ताज स्टोरी' पर रोक की याचिका खारिज की, कहा अदालतें सेंसर बोर्ड नहीं बन सकतीं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म 'द ताज स्टोरी' की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में खारिज कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी फिल्म के विषय या उसकी रिलीज़ के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यह सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का मामला है, न्यायपालिका का नहीं।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा —

"क्या हम सुपर सेंसर बोर्ड हैं? अगर आपको किसी फिल्म की विषयवस्तु से असहमति है तो इसका समाधान अदालत नहीं, बल्कि सरकार के प्रशासनिक विभागों के पास है।"

याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि 'द ताज स्टोरी' के निर्माताओं को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाए कि यह फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं, बल्कि एक काल्पनिक और विवादित कथा है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि यदि ऐसा कोई अनुरोध है तो इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के समक्ष रखा जा सकता है।

अदालत ने टिप्पणी की कि सिनेमा एक रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है और न्यायालय इस रचनात्मकता पर अंकुश लगाने का मंच नहीं हो सकता। पीठ ने कहा, "न्यायपालिका का काम सेंसरशिप करना नहीं, बल्कि कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना है। जब किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने प्रमाणपत्र दे दिया है, तो अदालत को उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं।"

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी ताकि वह सरकार के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करा सके। अदालत ने अनुमति देते हुए मामला समाप्त कर दिया।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि अभिनेता परेश रावल अभिनीत यह फिल्म "मनगढ़ंत तथ्यों" पर आधारित है और इसके संवादों एवं दृश्यों में ऐसे राजनीतिक संकेत जोड़े गए हैं जो किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि फिल्म की कहानी ताजमहल के निर्माण को लेकर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है।

हालांकि अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है जब तक कि फिल्म कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सेंसर बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हो।

गौरतलब है कि 'द ताज स्टोरी' को पहले ही CBFC की ओर से प्रमाणपत्र मिल चुका है और यह फिल्म शुक्रवार को पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।

फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिली हैं — कुछ दर्शक इसे एक "साहसी पुनर्कल्पना" बता रहे हैं, तो कुछ इसे "ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़" करार दे रहे हैं। फिल्म के निर्देशक ने कहा है कि "यह कहानी इतिहास नहीं, एक कल्पना है जो ताजमहल की कथा को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है।"

न्यायालय के इस निर्णय ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि फिल्मों की सेंसरशिप का अधिकार केवल CBFC को है, न कि अदालतों को, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में सृजनात्मक प्रयोगों को रोका नहीं जा सकता।

अब सारी निगाहें शुक्रवार को 'द ताज स्टोरी' की रिलीज़ पर टिकी हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस विवादित फिल्म को किस नज़र से देखते हैं — एक कलात्मक प्रयोग के रूप में या एक ऐतिहासिक चुनौती के रूप में।

जम्मू-कश्मीर में दो सरकारी शिक्षक आतंकियों से संबंधों के आरोप में बर्खास्त, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई सख्ती — 'राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि'

(जीएनएस)। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद पर नकेल कसने की दिशा में प्रशासन ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर दो सरकारी शिक्षकों को आतंकियों से संबंध के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दोनों शिक्षकों की पहचान गुलाम हुसैन और माजिद इकबाल डार के रूप में हुई है। प्रशासन का कहना है कि दोनों ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए जो राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा मानी गईं। इस कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत अंजाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य की सुरक्षा के हित में बिना किसी जांच प्रक्रिया के भी सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों में इन दोनों शिक्षकों के आतंकवादी संगठनों से संपर्क की पुष्टि हुई थी। यह भी सामने आया कि वे छात्रों को भड़काने और अलगाववादी विचारधारा फैलाने में सक्रिय थे। प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरा मानते हुए तत्काल कार्रवाई की।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस फैसले को जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी व्यक्ति को सरकारी व्यवस्था में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि जो भी व्यक्ति आतंकवादियों, अलगाववादियों या पाकिस्तान समर्थक संगठनों से संपर्क रखेगा, उसे सरकारी सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस तरह की कई कार्रवाइयां की हैं। 2021 से अब तक 60 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आतंकियों या अलगाववादी संगठनों से संबंधों के आरोप में बर्खास्त किया जा चुका है। इनमें पुलिसकर्मी, राजस्व अधिकारी, कॉलेज प्रोफेसर और स्कूल शिक्षक शामिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस अभियान का मकसद प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से आतंकवाद और चरमपंथ के प्रभाव से मुक्त करना है।

अनुच्छेद 311 (2)(c) का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी कर्मचारी के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हों कि पारंपरिक जांच प्रक्रिया राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो। प्रशासन का कहना है कि इन दोनों शिक्षकों के मामले में भी यही स्थिति थी। जांच एजेंसियों के पास ऐसे ठोस सबूत थे जिनसे यह साबित होता था कि ये शिक्षक आतंकवाद से सहानुभूति रखते थे और गुप्त रूप से आतंकियों की मदद कर रहे थे।

इस कार्रवाई को लेकर घाटी के राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। कुछ स्थानीय संगठनों ने इसे आवश्यक कदम बताया है, जबकि कुछ इसे कठोर बताया गया है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में अब किसी भी स्तर पर आतंकवाद से समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों की पृष्ठभूमि और सोशल मीडिया गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखें ताकि किसी भी संदिग्ध तत्व की पहचान समय रहते हो सके। प्रशासन का यह भी कहना है कि आतंकवाद से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस बर्खास्तगी के बाद यह संदेश एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन अब आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस नीति' पर काम कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है कि वे राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा रखें, और जो ऐसा नहीं करेगा, उसके लिए अब सरकारी सेवा में कोई जगह नहीं होगी।

जबलपुर में आरएसएस की तीन दिवसीय बैठक शुरू, हिंदू एकता और शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर मंथन

(जीएनएस)। जबलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक गुरुवार से मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू हो गई। संघ के उच्च पदाधिकारियों और प्रांत स्तर के प्रतिनिधियों की यह महत्वपूर्ण बैठक संगठन के 101वें वर्ष में प्रवेश के साथ कई रणनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडों पर केंद्रित है।

बैठक का शुभारंभ संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रारंभ में सत्र की शुरुआत हाल ही में दिवंगत विभूतियों — झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, अभिनेता असरानी और अन्य समाजसेवियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर हुई।

संघ सूत्रों ने बताया कि इस बार की बैठक में दो मुख्य विषयों पर विशेष चर्चा हो रही है —

पहला, देशभर में एक लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन आयोजित करने की योजना, जिससे समाज में संगठनात्मक एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रीय विचारधारा को बल मिल सके;

और दूसरा, आरएसएस के आगामी शताब्दी वर्ष समारोह (2025) की रूपरेखा, जिसमें संगठन अपनी सामाजिक, शैक्षिक और सेवा संबंधी गतिविधियों को और व्यापक रूप देने की तैयारी कर रहा है।

बैठक जबलपुर के कचनार सिटी स्थित विजय नगर क्षेत्र में चल रही है और यह 1 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें देशभर से 407 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें प्रांत संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक, क्षेत्रीय प्रमुख और संघ परिवार से जुड़े अन्य संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। संघ परिवार के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी बैठक के दौरान किसी सत्र में भाग ले सकते हैं, ताकि संघ और पार्टी के बीच संगठनात्मक समन्वय पर चर्चा हो सके। बैठक के एजेंडे में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले आयोजनों की तैयारी पर भी विचार-विमर्श हो रहा है। इसके साथ ही, आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव समारोहों की योजना को भी विस्तार दिया जा रहा है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, "हमारा उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना और भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान को पुनः जागृत करना है।

पैसों के लिए रिश्तों की बलि! घर की सफाई में मिला 2.5 करोड़ का खजाना, पिता-पुत्र की जंग पहुंची हाईकोर्ट तक

(जीएनएस)। अहमदाबाद। कभी-कभी किस्मत अचानक ऐसे करवट लेती है कि जीवनभर की सादगी और संघर्ष की जगह विवाद और लालच की छाया ले लेती है। गुजरात के ऊना से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां घर की सफाई के दौरान मिले ढाई करोड़ रुपये के शेयर सर्टिफिकेट ने एक पूरे परिवार को आपस में बांट दिया है। पिता और पुत्र अब इस 'खजाने' पर अधिकार को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ अदालत में खड़े हैं। मामला अब गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां "कौन बनेगा करोड़पति" की तरह अब फैसला कोर्ट सुनाएगा।

यह कहानी सावजी पटेल नाम के व्यक्ति के परिवार की है, जो ऊना में रहते थे और एक होटल में वेटर के रूप में काम करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत-मजदूरी में गुज़ारी। उनके पिता किसान थे और ऊना में ही उनका एक पुराना घर था। सावजी पटेल वर्षों तक होटल के परिसर में बने अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहते रहे। उनका बेटा दीव में काम करता था और मुश्किल हालातों में परिवार का गुज़ारा चलता था।

सावजी पटेल का कुछ समय पहले निधन हो गया। उनके जाने के बाद बेटा और पोता दोनों ऊना के उस पुराने घर की सफाई करने पहुंचे, जहां पीढ़ियों की यादें धूल में दबी थीं। घर की सफाई के दौरान जब उन्होंने पुराने ट्रंक और कागजों को हटाना शुरू किया, तो कूड़ेदान के नीचे से शेयर सर्टिफिकेट्स का बंडल मिला। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पोते ने उन सर्टिफिकेट्स को देखा और कंपनियों के नाम गूगल पर खोजे, तो उसके होश उड़ गए — वो सारे शेयर आज के बाजार मूल्य के हिसाब से करीब 2.5 करोड़ रुपये के निकले।

बस यहीं से शुरू हो गया विरासत का संग्राम।

पोते का कहना था कि उसके दादा ने घर उसके नाम पर कर दिया था, और क्योंकि शेयर उसी घर में मिले, इसलिए उन पर उसी का हक बनता है। वहीं पिता का कहना था कि वे अपने पिता (सावजी पटेल) के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, इसलिए सारी संपत्ति – चाहे वो नकद हो, शेयर हों या जमीन – उनका अधिकार है। पोते ने पिता का दावा ठुकरा दिया और कहा कि घर का कानूनी मालिक वही है, इसलिए घर से मिले किसी भी खजाने पर हक उसका होगा। वहीं पिता ने दलील दी कि उनके पिता ने किसी वसीयत में शेयर सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं किया, इसलिए वे "वंशानुगत संपत्ति" हैं और उस पर उनका अधिकार है।

अब यह विवाद गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत में पिता की ओर से दलील दी गई है कि वे सीधे उत्तराधिकारी (Direct Legal Heir) हैं, इसलिए उन्हें संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। वहीं पोते की ओर से कहा गया है कि घर उनके नाम दर्ज है और वह संपत्ति उनके अधीन आती है, इस कारण शेयरों का हक उन्हीं का है।

इस विवाद ने न सिर्फ रिश्तों को तोड़ दिया है, बल्कि गांव में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। कभी एकजुट रहने वाला परिवार अब अदालत के गलियारों में एक-दूसरे के खिलाफ गवाही दे रहा है। अब यह मामला 3 नवंबर को फिर से सुनवाई के लिए तय हुआ है। अदालत को तय करना है कि विरासत के अधिकार और संपत्ति की स्थिति के आधार पर असली हकदार कौन है — पिता, जो अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, या पोता, जिसके नाम वह घर है, जहां से ये खजाना निकला।

गांव के लोग इस विवाद को "रिश्तों की कीमत बनाम दौलत की कीमत" का मामला कह रहे हैं। किसी ने सही कहा है — कभी-कभी पैसा मिलना सौभाग्य नहीं, बल्कि परीक्षा बन जाता है, और इस परीक्षा में रिश्ते अक्सर हार जाते हैं।

गुजरात में मौसम का कहर : जूनागढ़, सोमनाथ और सौराष्ट्र-कच्छ में भारी बारिश, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, किसानों की बढ़ी चिंता

(जीएनएस)। गुजरात इन दिनों भारी बारिश की चपेट में है। अरब सागर के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र और उससे विकसित हुआ चक्रवात 'मोंथा' राज्य के मौसम में भारी बदलाव लेकर आया है। राज्य के दक्षिण, सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिलों में रुक-रुककर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली, पोरबंदर और भावनगर जैसे जिलों में पिछले 24 घंटों में जमकर वर्षा हुई है, जिससे कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर के पूर्व-मध्य क्षेत्र में बना निम्न दबाव गुरुवार को पश्चिम की ओर बढ़ गया है और अगले 36 घंटों में इसके और मजबूत होने की संभावना है। इसके असर से राज्य के तटीय और आंतरिक हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और बारिश का दौर बना रहेगा। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, द्वारका और गिर सोमनाथ जिलों में आने वाले दो दिनों तक भारी वर्षा की संभावना है।

राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कृषि क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा है। खेतों में जलभराव से मूंगफली, कपास, ज्वार और अरहर की फसलें खराब हो रही हैं। कई स्थानों पर खेतों में पानी भर जाने से कटाई का काम ठप हो गया है। किसानों ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग की है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण गुजरात के वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी और वलसाड में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इनमें से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि द्वारका, राजकोट, बोटाद, आणंद, भरूच, वडोदरा, पंचमहल, दाहोद, नर्मदा, छोटा उदेपुर, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

वलसाड और नवसारी जिलों में आज सुबह से ही घनघोर बादल छाए हुए हैं। कपराडा, धरमपुर, पारडी और उमरगांव जैसे क्षेत्रों में लगातार वर्षा हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर कीचड़ और खेतों में पानी भर गया है। कई निचले इलाकों में स्थानीय प्रशासन ने जलभराव के चलते राहत दलों को सतर्क कर दिया है।

अरब सागर में सक्रिय निम्न दबाव और चक्रवाती प्रभाव के कारण तटीय जिलों में समुद्र ऊफान पर है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। तटीय चौकियों और बंदरगाहों पर रेड फ्लैग लगा दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक समुद्र में लहरों की ऊँचाई सामान्य से दोगुनी तक पहुँच सकती है, जिससे नावों और छोटी नौकाओं के पलटने का खतरा बना रहेगा।

अहमदाबाद और गांधीनगर में आज बादल छाए रहे और बीच-बीच में हल्की फुहारें पड़ीं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शहरवासियों को उमस से राहत मिली है, परंतु मौसम का यह बदलाव ठंडी हवाओं के साथ नमी भी बढ़ा रहा है।

राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा के चलते परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे रास्ते कीचड़ के कारण बंद हो गए हैं। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में कुछ स्कूलों में छुट्टियाँ घोषित की गई हैं। राजकोट और भावनगर जिलों में भी प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

गुजरात का मौसम इस समय राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है। एक ओर लगातार हो रही बारिश से गर्मी से राहत मिली है और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर बेमौसम वर्षा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। प्रशासन ने सभी जिला कलेक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने और आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के लिए टीम तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।

मौसम विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले 48 घंटे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि अरब सागर में बने निम्न दबाव का क्षेत्र और मजबूत हुआ तो दक्षिण और सौराष्ट्र के जिलों में अतिवृष्टि की स्थिति बन सकती है। फिलहाल पूरे गुजरात में सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

मोदी सरकार की 'श्रम शक्ति नीति' पर बवाल: कांग्रेस बोली— मनुस्मृति से प्रेरित, संविधान और आंबेडकर की विरासत का अपमान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नई "श्रम शक्ति नीति 2025" को लेकर सियासी गलियारों में बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस नीति पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि यह नीति मनुस्मृति की विचारधारा से प्रेरित है और सीधे-सीधे भारतीय संविधान की मूल भावना का अपमान करती है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वे देश को "मनुस्मृति के युग" में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार की यह नीति न केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि डॉ. भीमराव आंबेडकर की सामाजिक न्याय और समानता की उस विरासत के भी खिलाफ है, जिसके आधार पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी। रमेश ने कहा, "आरएसएस ने 26 नवंबर 1949 से ही संविधान का विरोध किया था क्योंकि वह मनुस्मृति आधारित समाज की बात करता रहा है। अब मोदी सरकार उसी विचार को नीति के रूप में थोपने की कोशिश कर रही है।"

जयराम रमेश ने कहा कि सरकार के तैयार मसौदे में यह संकेत दिया गया है कि भारत की "श्रम शक्ति नीति" प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेगी, जिनमें मनुस्मृति जैसी विचारधाराएं शामिल हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार, "यह सीधे संविधान का अपमान है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है।" उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान सबको समान अवसर और समान अधिकार देता है, तब सरकार को प्राचीन ग्रंथों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते थे। रमेश ने कहा, "यह नीति भारत के करोड़ों श्रमिकों को आधुनिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश है। मोदी सरकार श्रमिकों को 'श्रमिक' नहीं, 'सेवक' बनाने का प्रयास कर रही है।"

कांग्रेस ने इस मसौदे पर संसद और जनता के बीच व्यापक बहस की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह नीति संवैधानिक मूल्यों, श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय के ढांचे को कमजोर करने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो आरएसएस की वैचारिक सोच से मेल खाते हैं — चाहे वह शिक्षा नीति हो, सामाजिक न्याय के कानून हों या अब श्रम नीति।

जयराम रमेश ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर भी हमला बोला और पूछा कि अगर राजग सचमुच सामाजिक न्याय की बात करता है, तो उसने आरक्षण कानून को संवैधानिक संरक्षण क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा, "यह दोहरा रवैया दिखाता है कि सामाजिक न्याय उनके लिए केवल चुनावी नारा है, न कि नीतिगत प्रतिबद्धता।"

कांग्रेस ने बुधवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मोदी सरकार देश को मनुस्मृति के सिद्धांतों पर ले जाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के अनुसार, "यह कदम न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि उस भारत के खिलाफ है जिसे बाबा साहब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिलकर गढ़ा था।"

इस बीच, सरकार की ओर से अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुद्दा आने वाले सत्र में संसद के भीतर तीखा टकराव पैदा कर सकता है। विपक्ष इसे सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा से जोड़कर बड़ा राजनीतिक अभियान बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि यह नीति लागू हुई तो देश के श्रमिकों की स्थिति 21वीं सदी में नहीं, बल्कि मनुस्मृति के युग में पहुंच जाएगी — जहां अधिकार नहीं, केवल कर्तव्य होंगे।